संख्या-48/2017/723/22-4-17-48(16)/14

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 31 अगस्त, 2017

विषय- केन्द्रीय कारागार, आगरा एवं जिला कारागार, आगरा में अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30284/नम-3/दिन/अतिरिक्त शौचालय, दिनांक-22.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा एवं जिला कारागार, आगरा में अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-167/2015/979/22-4-15-48(16)/14, दिनांक 20.08.2015 एवं शासनादेश संख्या-187/2015/1205/22-4-15-48(16)/14, दिनांक 21.09.2015 द्वारा रू0 227.70 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 91.08 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- अत: उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, आगरा एवं जिला कारागार, आगरा में अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु (निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार) मूल स्वीकृत लागत रू0 227.70 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1,36,62,000/- (रूपया एक करोड. छत्तीस लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	प्रस्तावित आवंटन
1	केन्द्रीय कारागार, आगरा	99.00	39.60	59.40
2	जिला कारागार, आगरा	128.70	51.48	77.22
	योग-	**227.70**	**91.08**	**136.62**

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य निर्धारित समयान्तर्गत तक पूर्ण कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जांय।

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 20.08.2015 एवं 21.09.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय -80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/ मद के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-48/2017/723(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, आगरा।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in